



कार्यालय आदेश सं०:-19/NG/2019/Rectt. Cell/SPJ

समाधि यांत्रिक विभाग के जे.ई. कोटि में निम्नलिखित सेवानिवृत्त कर्मचारी जो मासिक मानदेय के आधार पर रि-इंगेजमेंट हेतु दिनांक- 27.02.2019 को संपन्न Skill/Competency जॉच में उपयुक्त पाये गये है एवं मंडल रेल चिकित्सालय/समस्तीपुर द्वारा वांछित मेडिकल श्रेणी में फिट है, को उनके नाम के सामने अंकित पद, पदस्थापना स्थल एवं मासिक मानदेय पर रि-इंगेज किया जाता है। मासिक मानदेय का निर्धारण अलग से किया जायेगा।

(क)जे.ई./समाधि:-

क्र. सं०	आवेदक का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि	65 वर्ष आयु पुरा होने की तिथि	सेवानिवृत्ति के समय का पद / स्टेशन	चिकित्सा कोटि	रि-इंगेजमेंट पर पद एवं पदस्थापना स्थल	फोटो	हस्ताक्षर एवं बॉये अगूठे का निशान
01	रामनक्षत्र प्रसाद	रामबली प्रसाद	25.01.59	31.01.19	25.01.24	SSE/ C & W/JYG	No-028523/ 76 Dt- 27.05.19 Fit in A-3 with NV& DV Glasses by ADMO/SPJ	J.E./C&W/ RXL		रामनक्षत्र प्रसाद 

उपयुक्त सेवानिवृत्त कर्मचारी का रि-इंगेजमेंट निम्न शर्तों के अधीन होगा:-

1. आरबीई सं० 150/2017 एवं आरबीई 193/2017 के अनुसार रि-इंगेजमेंट की वैधता दिनांक 01.12.2019 तक अथवा रि-इंगेज सेवानिवृत्त कर्मचारियों के 65 वर्ष पुर्ण होने तक के लिए जो भी पहले हो, तक के लिए होगा।
2. रि-इंगेज सेवानिवृत्त कर्मचारियों का मासिक मानदेय, अंतिम वेतन+डीए-पेंशन से अधिक नहीं होगा।
3. यदि रि-इंगेज सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कारण रेल प्रशासन को किसी भी प्रकार का आर्थिक क्षति होती है तो इसके लिए वह स्वयं जिम्मेवार होगा तथा इसके लिए प्रशासन का जो भी निर्णय होगा वह स्वीकार्य होगा।
4. सीधी भर्ती कोटे से, रेलवे भर्ती बोर्ड या प्रकोष्ठ या अन्य स्रोत से चयनित अभ्यर्थी के नियुक्ति के साथ ही रि-इंगेज कर्मचारियों को तत्काल सेवा से मुक्त कर लिया जायेगा।

5. रि-इंगेज सेवानिवृत्त कर्मचारियों से Cash Handling का कार्य नहीं कराया जायेगा।
6. संरक्षा पदों पर तैनाती से पूर्व संबंधित शाखाधिकारी द्वारा दक्षता प्रमाण-पत्र जारी करना अनिवार्य होगा।
7. संतोषजनक सेवा नहीं होने की स्थिति में, अनुशासनहीनता, कर्तव्यों के प्रति शिथिलता एवं आचरण नियमों में उल्लंघन के दोषी पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के आपकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।
8. रेल आवास की सुविधा, सीयुजी सीम की सुविधा, रेल सेवा में मासिक मानदेय पर तैनाती के शीर्ष पर कोई चिकित्सकीय सुविधा एवं अन्य कोई रेलवे सुविधा/लाभ देय नहीं होगा।
9. मासिक मानदेय के अलावा अन्य कोई भता, अग्रिम, लोन इत्सादि अनुमेय नहीं है।
10. रि-इंगेज सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कार्य से अनुपस्थित होने के स्थिति में अनुपस्थित अवधि का पारिश्रमिक देय नहीं होगा।
11. रि-इंगेज सेवानिवृत्त कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का अवकाश जैसे CL, LAP, Sick Leave आदि देय नहीं होगा।
12. रि-इंगेज सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सामान्य कार्य अवधि वही होगा जो सामान्य प्रकार से नियुक्त कर्मचारी के लिए है।
13. विश्राम के संबंधित निर्देश निम्न प्रकार हैं:— The contractual staff may be permitted off on Sundays and national holidays. However they may be called for duty on any day including Sundays and national holidays for which compensatory leave may be given later. In addition , Contractual staff may be granted two days leave for each completed month of engagement in Railway. The accumulated leave will lapse as soon as the contractual period is over and cannot be carried over to next contract (if any).
14. आपके रि-इंगेजमेंट से संबंधित रेलवे बोर्ड द्वारा जारी समस्त विनिर्दिष्ट नियम आप पर लागू होंगे तथा भविष्य में भी समय-समय पर रि-इंगेजमेंट से संबंधित रेलवे बोर्ड द्वारा जारी नियमों एवं उपनियमों के तहत आपका रि-इंगेजमेंट संचालित होगी एवं आप इसे स्वीकार करने को बाध्य होंगे।
15. प्रशासन के आवश्यकता अनुसार आपको सभी प्रशिक्षण/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में जाना पड़ेगा।
16. आप पुर्णतः अस्थायी रूप से रिइंगेज किये गये है।
17. रि-इंगेजमेंट की समाप्ति पश्चात् आपका पूर्व के पेंशन लाभ को छोड़कर किसी अन्य प्रकार का उत्पादान/लाभ देय नहीं होगा।
18. आपको इस आदेश के तिथि से 10 दिनों के भीतर अपना योगदान देना होगा अन्यथा यह आदेश कालातीत हो जायेगा।
19. संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचारी के द्वारा अपने रि-इंगेजमेंट स्थल पर योगदान से पूर्व संबंधित पर्यवेक्षक के साथ 20रु0 के नन-ज्युडिशियल स्टाम्प पर एक एग्जीमेंट करना होगा। सुलभ संदर्भ हेतु एग्जीमेंट का प्रारूप संलग्न है।

इस पर मर्रेप /समस्तीपुर का अनुमोदन प्राप्त है।

  
(चन्द्र किशोर)  
सकाधि-11

कृते मंडल रेल प्रबंधक(कामिक)समस्तीपुर

क्रमशः

सं०:- ईसीआर / एसपीजे / 01 / रि-इंगेज / 2018  
प्रतिलिपि:-

दिनांक:-27.06.2019

1. महाप्रबंधक(कार्मिक) / हाजीपुर
2. वमविप्र / समस्तीपुर
3. वमयार्ड(समाडि) / समस्तीपुर:- वे कृपया उक्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों के रि-इंगेजमेन्ट हेतु योगदान से पूर्व यदि आवश्यक हो तो आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाना अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे।
4. मुकार्याधी / यां0 / समाडि संवर्ग
5. सिसेई / समाडि / रक्सौल:- वे कृपया उपर्युक्त शर्तों पर योगदान कराने से पूर्व 20 / - के नन-ज्युडिशियल स्टाम्प पर एक एग्रीमेंट कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। तत्पश्चात् ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों का योगदान करायेगे एवं उक्त एग्रीमेंट की मूल प्रति योगदान रिपोर्ट के साथ ही इस कार्यालय को यथाशीघ्र प्रेषित करेंगे।
6. मुकार्याधी / बिल / समस्तीपुर:- वे कृपया आरबीई सं० 150 / 2017 एवं आरबीई 193 / 2017 के निर्देशानुसार सभी रि-इंगेज सेवानिवृत्त कर्मचारियों का मासिक मानदेय, अंतिम वेतन+डीए-पेंशन के आधार पर निर्धारित कर दिया जाना सुनिश्चित करें।
7. रि-इंगेज सेवानिवृत्त कर्मचारी- वे कृपया अपने कार्यस्थल पर योगदान से पूर्व संलग्न प्रारूप के अनुसार 20 रू० के नन-ज्युडिशियल स्टाम्प पर एग्रीमेन्ट करेंगे।
8. मंडल मंत्री / ईसीआरकेयू एवं अजा / अजजा, ओबीसी एशो० / समस्तीपुर

कृते मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक) / समस्तीपुर